

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

24.09.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.10.24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थिति है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

24.10.24

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांत शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हों। तामि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारेण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 24.12.24 को पेश हों।

10/12/24

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.12.25 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थिति है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

24.1.25

पत्रावली पेश वकील अपीलांत को पूर्व शरी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाट नगरीक तकमील दामिदल नफतन हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्डियन)